प्रेस विज्ञप्ति

03.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने 30.05.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स इंडिया मेगा एग्रो अनाज लिमिटेड और अन्य के पीडीएस खाद्यान्न घोटाला मामले में महाराष्ट्र भर के अन्य क्षेत्रों एवं हिंगोली, यवतमाल, नांदेड़ जिलों में स्थित कुल कीमत 4.06 करोड़ रू. की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में कंपनी मेसर्स इंडिया मेगा एग्रो अनाज लिमिटेड, इसके प्रमोटर अजय चंद्रप्रकाश बाहेती और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत नांदेड़ जिले में पुलिस द्वारा दायर एफआईआर और आरोपपत्रों के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें एफ.सी.आई. जवाहर नगर तुप्पा के गोदाम से बाहेती ग्रुप की कंपनी एम/ एस इंडिया मेगा एग्रो अनाज लिमिटेड तक गेहूं और चावल की आवश्यक वस्तुओं के अवैध परिवहन का खुलासा हुआ। एक विस्तृत साजिश के तहत, इंडिया मेगा एग्रो अनाज कंपनी के मालिक अजय बाहेती ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की पूरी मशीनरी जैसे ट्रक ड्राइवरों, ट्रक मालिकों, तहसील स्थान और नांदेड़ और हिंगोली जिलों में डिलीवरी लेने वाले जिला स्थान के प्रतिनिधियों, गोदाम के रखवालों और राशन के अनाज का परिवहन करने वाले ठेकेदार, उनके प्रतिनिधि, विभिन्न व्यापारिक कंपनियों के मालिक, बिचौलिए आदि के साथ साजिश रची और निजी उपयोग के लिए रियायती दरों पर सार्वजनिक वितरण के लिए आए खाद्यान्न का दुरुपयोग किया।

फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि आरोपी अजय बाहेती ने दागी लेनदेन के लिए कागजी निशान बनाने और अपराध की आय को बेदाग बताने के लिए अपनी कंपनी के खातों की किताबों में हेरफेर किया। ईडी की जांच में आगे पता चला कि अजय बाहेती ने अपने कर्मचारियों के नाम पर फर्जी ट्रेडिंग कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया और उन नामों पर बैंक खाते खोले गए। एफसीआई गोदामों से मेसर्स इंडिया मेगा एग्रो अनाज लिमिटेड को भेजे गए 55.27 करोड़ रुपये के कुल विचलन खाद्यान्न का अनुमान ईडी की जांच के दौरान "अपराध के आगम" के रूप में लगाया गया था, जो चेक अवधि जनवरी, 2018 से जुलाई, 2018 तक के दौरान विभिन्न शेल संस्थाओं से फर्जी अनाज खरीद के लिए अजय बाहेती द्वारा किए गए भुगतान के एकत्रीकरण पर आधारित था।

इससे पहले अजय चंद्रप्रकाश बाहेती को ईडी, नागपुर ने 24.06.2021 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अभियोजन शिकायत 20.08.2021 को दायर की गई थी।

आगे की जांच जारी है।